FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .. मुकाम जहाजपुर

उप/प्रार्थी योगी [illegible] बनाम [illegible]/मोहन [illegible]

किस्म मुकदमा 111-128 LRA नं. 541 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागुदार पटवार हल्का बागुदार भू. अ. नि. रोपा तहसील जहाजपुर की कृषि आराजी खसरा संख्या 427 रकबा 1.05 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर कब्जे काश्त उपयोग-उपभोग में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि के पडौसी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 होने से उनके सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई, जुताई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि का सीमांकन पत्थरगढ़ी कराकर भूमि को उपयोगी उपजाऊ एवं विकासीत करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामीत्व की है। पडौसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा. भू. रा. एतद् स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बागुदार पटवार हल्का बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 427 रकबा 1.05 बीघा की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 500/-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रु राजकोष में जमा करावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 08-10-2021 को सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner